न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस**अपील संख्या एल आर ए/ 118/2014**

उनवान

1. गोपाल पिता श्रीलाल जाट निवासी मुहल्ला ग्राम पंचायत बलाण्ड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 75/2012 निर्णय दिनांक 30.5.2014 एवं तहसीलदार, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 374/2012 निर्णय दिनांक 19.9.2012

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री भोपाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बलाण्ड ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुंहला तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 525 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण श्री गोपाल पिता श्री लाल जाट द्वारा संवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2069 में अवैध रूप से गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार, शाहपुरा ने अप्रार्थी को ग्राम मुंहला तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 525 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा लगान का पचास गुणा 3/–रूपये के अर्थदण्ड तथा 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.5.2014 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 525 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते पर अपीलाण्ट ने संवत 2069 या किसी भी अन्य साल में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मौके पर अपीलाण्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पटवार हल्का मनमकसूद तरीके सेबिना रास्ते की भूमि का नाप चौप किये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी एवं महज पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 525 रकबा0.02 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर छडिया केवल अपीलार्थी की ही नहीं है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वरन अन्य ने भी पक्का मकान बना रखा है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत पक्षका को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई के उपरान्त ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पटवारी हल्का बलाण्ड की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम मुहल्ला तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 525 रकबा 0.02 हे0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर संवत 2069 में अवैध रूप से अतिक्रमण करने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.8.2012 को लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने कथन किया कि अतिक्रमी द्वारा मौके पर बाडा व अन्य कब्जे कर रखे थे जिसे करीब 8 माह पहले कब्जा हटाया गया है एवं बेदखल करने के बावजूद भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पुनः कब्जा कर लिया है। अपीलाण्ट का स्वयं का भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उसकी छडियो के अलावा अन्य लोगों का भी कब्जा है मौके पर अन्य ने पक्का मकान भी बना रखा है उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलाण्ट स्वयं यह स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा है एवं अन्य लोगों का भी कब्जा है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात आर आर डी 1988 पेज 413 , आर आर डी 1980 पेज 27 अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

8. पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा भी मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 21.2.2018 को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट का बाडा बना होना एवं मवेशी व चारा रखने के उपयोग में लिया जाना बताया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार नहीं किया हो। चूंकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 525 किस्म गैर मुमकिन रास्ता होकर सार्वजनिक उपयोग की होने से आने–जाने के प्रयोग में आती है जिस पर अपीलार्थी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2014 एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2012 को यथावत रखा जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा